अनुदान संख्या 97 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 97 – MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3591,61,00		11398,84,00	11059,56,54	-339,27,46
पूरक	Supplementary	7807,23,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					259,52,00
पूंजीगत–	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	40,03,00		116,72,00	111,33,94	-5,38,06
पूरक	Supplementary	76,69,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	4000.00	3481.00	2981.66	-499.34
पु.	R.	-519.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	22714.00			
पू.	S.	2.00	1275.80	..	-1275.80
पु.	R.	-21440.20			
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम और लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	163746.00			
पू.	S.	3.00	155057.00	151594.82	-3462.18
पु.	R.	-8692.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	168701.00			
पू.	S.	780718.00	954118.20	951380.06	-2738.14
पु.	R.	4699.20			

(I) ₹25583.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹19.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹24416.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र)" – ₹600.00 लाख;

(I) Provision of ₹25583.00 lakhs (including supplementary grants of ₹19.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹24416.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Village and Small Industries – Handloom Industries – National Handloom Development Programme (Central Sector)" – ₹600.00 lakhs;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1501.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग – रेशम उत्पादन उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹4172.00 लाख;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" – पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र विकास" – ₹3500.00 लाख;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ.) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्कीम" – ₹4000.00 लाख – प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(च) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन–II" – ₹8143.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने, स्कीम के अनुमोदन में विलंब और प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2851"– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹1000.00 लाख; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – जूट क्षेत्र के विकास के लिए स्कीम" – ₹1500.00 लाख।

(b) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" – ₹1501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries – Grants towards Development of Silk Industry" - ₹4172.00 lakhs;

(d) "Consumer Industries – Textiles – Development of Textiles in North East" - ₹3500.00 lakhs;

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹4000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(f) "Tribal Area Sub-Plan –Technology Mission on Jute-Mini Mission-II" - ₹8143.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh)-due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim, delay in approval of the scheme and non-receipt of proposals.

(B) Major Head "2851" – "Special Component Plan for Scheduled Castes – Powerloom Promotion Scheme" - ₹1000.00 lakhs; and

(C) Major Head "2852" – "Consumer Industries - Special Component Plan for Scheduled Castes – Scheme for Development of Jute Sector (NJB)" - ₹1500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान लाभार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from beneficiaries.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" – ₹1018.34 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Ministry of Textiles" – saving of ₹1018.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2851" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads: -

(का) "हथकरघा उद्योग" –

(A) "Handloom Industries –

(क) "बुनकर सेवा केन्द्र" – ₹1393.82 लाख की बचत (₹6150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) "Weavers Service Centre" – saving of ₹1393.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6150.00 lakhs);

(ख) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र सेक्टर)" – के अंतर्गत ₹5487.77 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22011.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "National Handloom Development Programme (Centre Sector)" – saving of ₹5487.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22011.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2021); and

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग" –

(B) "Handicraft Industries" –

(क) "विकासायुक्त हस्तशिल्प" – ₹502.76 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Development Commissioner for Handicrafts"- saving of ₹502.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं / प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of project/proposals.

(ख) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹3545.64 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और लंबित उपयोग प्रमाण–पत्रों के कारण हुई।

(b) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹3545.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less viable proposals and pending utilization certificates.

(गा) "पावरलूम उद्योग" –

(क) "पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹2833.76 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6428.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "ऊनी वस्त्र का विकास" – ₹750.30 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1200.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजना/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"–

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्र)" – ₹2322.72 लाख की बचत (₹6579.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹2394.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थी।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "वस्त्र" –

(क) "वस्त्र आयुक्त" – ₹567.88 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(C) "Powerloom Industries –

(a) "Powerloom Promotion Scheme" – saving of ₹2833.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6428.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in July, 2021); and

(b) "Development of Woolen Textiles" - saving of ₹750.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in July, 2021).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of project/proposals

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "National Handloom Development Programme (Center Sector)" – saving of ₹2322.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6579.00 lakhs); and

(b) "National Handicraft Development Programme" – saving of ₹2394.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from beneficiaries.

(IV) Under Major Head "2852" – "Consumer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Textiles" –

(a) "Textile Commissioner" – saving of ₹567.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(ख) "वस्त्र समिति को सहायता" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "वस्त्र अवसंरचना और मेगा क्लस्टर" – ₹6274.13 लाख की बचत (₹15900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹7827.72 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ड़) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" – ₹7468.59 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(च) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता" – ₹6621.00 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अन्य – जूट" – ₹3673.74 लाख की बचत (₹13217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत परियोजनाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय जूट निगम को मूल्य सहायता के प्रति सब्सिडी" – ₹1465.00 लाख की बचत (₹1784.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹817.84 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी।

(b) "Assistance to Textile Committee" – saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs);

(c) "Textiles Infrastructure and Mega Cluster" - saving of ₹6274.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15900.00 lakhs);

(d) "Research and Development and Institutional Development" - saving of ₹7827.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2021);

(e) "Amended Technology Up-gradation Fund Scheme" – saving of ₹7468.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70000.00 lakhs);

(f) "Support to PSUs" – saving of ₹6621.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs); and

(B) "Others – Jute" – saving of ₹3673.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13217.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to non-finalisation of projects/proposals.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support" – saving of ₹1465.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1784.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from beneficiaries.

(V) Under two heads saving of ₹817.84 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 36 percent and 26 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹41384.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹780719.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "2851" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹909.94 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(क) "भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य सहायता के अंतर्गत कपास की खरीद" – ₹38896.00 लाख।

(ख) "पूर्वोत्तर में वस्त्रों का विकास" – ₹1388.20 लाख। वास्तविक अधिक व्यय तथापि, ₹1360.20 लाख था।

(II) इन बचतों को मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित भी किया गयाः–

(का) "हस्तशिल्प उद्योग – विपणन और सेवा विस्तार" – ₹2308.01 लाख का अधिक व्यय (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, नई दिल्ली के लंबित संपत्ति कर के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवशयकता के कारण था।

(खा) "रेशम उद्योग–केन्द्रीय रेशम बोर्ड" – ₹3166.23 लाख का अधिक व्यय (₹61171.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – रेशम उद्योग के विकास हेतु अनुदान" – ₹3095.64 लाख का अधिक व्यय (₹6027.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

2.(I) The above savings were partly (₹41384.20 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹780719.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" - "Tribal Area Sub-Plan – National Handicraft Development Programme" - ₹1100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹909.94 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries – Textiles" –

(a) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under price support" - ₹38896.00 lakhs

(b) "Development of Textiles in North East" – ₹1388.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹1360.20 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" under the following heads:-

(A) "Handicraft Industries – Marketing and Service Extension" – excess of ₹2308.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pending property tax of Rajiv Gandhi Handicraft Bhawan, New Delhi.

(B) "Sericulture Industries – Central Silk Board" - excess of ₹3166.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61171.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan – Grants towards Development of Silk Industry"- excess of ₹3095.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6027.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	4000.00			
पू.	S.	1048.00	4548.00	4512.94	-35.06
पु.	R.	-500.00			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) "हस्तशिल्प उद्योग – अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना" – ₹2000.00 लाख का मूल प्रावधान दिसम्बर, 2021 में ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3000.00 लाख किया गया। तथापि, यह ₹522.00 लाख की सीमा तक – परियोजना/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Handicraft Industries – Infrastructure and Technology Development Projects" – the original provision of ₹2000.00 lakhs was augmented to ₹3000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs in December, 2021 which however, remained unutilized to the extent of ₹522.00 lakhs – due to non-finalisation of project/ proposals.